निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 36 / 2023
दायरा दिनांकः–19.12.2023
निर्णय दिनांकः– 29.1.25

उनवान

1. दीपचन्द आयु 70 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी ग्राम बामला
2. रामस्वरूप आयु 65 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी ग्राम बामला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 29.1.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भंवरसिंह जादौन– प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 61 की खसरा संख्या 193 / 1 की रकबा 0.0632 हैक्टयर, भूमि खसरा सख्या 80 की रकबा 0.6070 हैक्टयर भूमि खसरा संख्या 98 की रकबा 1.1382 हैक्टयर कुल किता 3 रकबा 1.8084 हैक्टयर वाके माल जाला तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) मे स्थित है जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अपने अपने हिस्से की भूमि पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का इन्तकाल खोलते समय प्रार्थीगण के पते में राजस्व कर्मचारियो के सहवन से लम्बाचक मध्यप्रदेश दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण गत् 40 वर्षो ग्राम बामला तहसील छबड़ा राजस्थान मे रहकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि को काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण का सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड सभी मे प्रार्थीगण का पता ग्राम बामला तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान दर्ज है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के पते लम्बाचक मध्यप्रदेश गलत दर्ज होने से उन्हे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमियात के खातो पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर तारफैन्सिग कर, भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहते है परन्तु प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड मे अपने पते का दुरस्तीकरण किये बिना संभव नहीं है। प्रार्थीगण दिनांक 08/12/2023 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गयी तो उन्हे हल्का पटवारी से उनके राजस्व रिकार्ड मे अपने अपने नाम मे गलत पते की वृटि की जानकारी हुई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन नकल जमाबन्दी ग्राम जाला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 61 नकल पहचान पत्र रामस्वरूप परिवार राशन कार्ड रामस्वरूप जन आधार कार्ड गीता बाई आधार कार्ड रामस्वरूप मीना आधार कार्ड दीपचन्द मीना पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जाला तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस पर शान्तिपूर्वक काश्त करतें चले आ रहे है प्रार्थीगण का नामा0 खोलतें समय प्रार्थीगण के पते में सहवन से लम्बाचक मध्यप्रदेश दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीगण 40 वर्षो से ग्राम बामला तहसील छबडा में निवास कर रहे है प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण का पता ग्राम बामला दर्ज होने के कारण राज्य सरकार से मिलने वाले सभी लभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना पता सही दर्ज करवाना चाहतें है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी जाला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 61 में प्रार्थीगण का पता लम्बाचक मध्यप्रदेश दर्ज है प्रार्थी रामस्वरूप के पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड में ग्राम बामला जागीर तहसील छबडा दर्ज है जन आधार कार्ड आधार कार्ड में प्रार्थीगण का पता जाला तहसील छबडा दर्ज है प्रार्थीगण के दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान का पता अलग–अलग दर्ज है प्रार्थीगण का यह पता नही है कि प्राथीगण जाला में रहतें है या बामला जागीर में रहतें है या मध्य प्रदेश के लम्बाचक गांव में रहतें है प्रार्थीगण के तीन निवास स्थान अंकित है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम जाला के खसरा नम्बर 80 रकबा 0.6070 है0 खसरा नम्बर 98 रकबा 1.1382 है0 एवं खसरा नम्बर 193/1 रकबा 0.632 है0 दीपचन्द पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/2 एवं रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/2 जाति मीना सा0देह लम्बाचक मध्यप्रदेश राजस्व रिकार्ड खाते दर्ज है प्रार्थीगण अपना निवास का पता बदलवाना चाहतें है प्रार्थीगण मूल रूप से ग्राम लम्बाचक जिला गुना मध्यप्रदेश के निवासी है प्रार्थीगण मीना वर्ग के है जो

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ओ0बी0सी में आतें है राजस्थान में मीना जाति अनुसूचित जन जाति (ST) के अन्तर्गत आते है प्रार्थीगणो द्वारा ग्राम बामला जाला तहसील छबडा जिला बारां के नाम से सभी दस्तावेज तैयार करवा लिए है प्रार्थीगण राज0 एवं मध्यप्रदेश दोनो जगह से दोहरा लाभ प्राप्त करना चाहतें है ग्राम वासियों से पुछताछ में बताया कि प्रार्थीगण ग्राम बामला में तो काम आते जाते है उक्त प्रार्थीयों का निवास स्थान लम्बाचक जिला गुना मध्यप्रदेश में निवास करतें है। तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण मध्यप्रदेश में निवास करतें है प्रार्थीगण अपना पता राजस्व रिकार्ड में बदलवाना चाहतें है जो धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के अन्तर्गत नही आता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगंण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0टी0एक्ट चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, छबडा